लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS.

अपील सं. 14 / 2026
जीसीएमएस सं. 2026 / 43
ऑन लाईन अपील सं.218649838553984 / 2026

प्रार्थी / अपीलार्थी :–		अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्स:–
श्री कल्पेश सोमपुरा निवासी खोडियाल माता मन्दिर के पीछे, सलाटवाडा, सागवाडा, जिला डूंगरपुर	बनाम	तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 23–04–2026

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन ऑन लाईन 218621762204105 दिनांक **03–02–2026** पर **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा (राज.)** द्वारा उपलब्ध नही करवाये जाने से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस जारी किया गया एवं प्रत्यर्थी को नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

दिनांक **23–04–2026** को प्रत्यर्थी **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)** ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि इस कार्यालय के पत्रांक 12 दिनांक 17.04.2026 को पत्र लिखकर प्रार्थी को अवगत कराया कि वांछित सूचना श्रीमती ज्योति [illegible] पिता नारायणलाल सोमपुरा को विशेष मुल निवास संबंधी प्रमाण पत्र एवं ईडब्लुएस प्रमाण पत्र कौन से वर्ष कौन से

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.05.13 12:15:39 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

माह व किस दिनांक को जारी हुआ है। संपूर्ण जानकारी नही होने से उक्त सूचना प्रार्थी को नही दी जा सकती है। प्रति संलग्न है। अपील निरस्त कराने का श्रम करावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा जिला बांसवाडा** (राज.) के जवाब एव उनकी ओर से अपीलार्थी को वांछित सूचना से अवगत कराये गये पत्र का अवलोकन एवं उस पर मनन किया। अपीलार्थी के आवेदन **ऑन लाईन 218621762204105** दिनांक **03–02–2026** से 4 बिन्दु पर सूचना चाही गई है। आवेदन अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना अपूर्ण विशिष्ठियों के साथ चाही गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा **6(1)(B)**के अनुसार चाही गई सूचना में स्पष्ट विशिष्टियाँ अंकित करना अपेक्षित है। यद्यपि वांछित सूचना विशिष्ठि विहिन है तथापि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावना एवं उद्धेश्यो को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलार्थी आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते है कि आदेश प्राप्ति के 30 दिवस में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी कार्यालय में उपलब्ध सूचना से सम्बन्धित अभिलेखो के अवलोकन हेतु एक निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर उपस्थित होने हेतु पंजीकृत पत्र के माध्यम से आमंत्रित करे। अपीलार्थी के अवलोकनोपरांत उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर चिन्हित किए जाने पर नियमानुसार सूचना/ विनिश्चिय अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर उपलब्ध करवाये। अतः अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक **23–04–2026** को [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.05.13 12:15:39 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. इंद्रजीत यादव) IAS.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज.)

माह व किस दिनांक को जारी हुआ है। संपूर्ण जानकारी नही होने से उक्त सूचना प्रार्थी को नही दी जा सकती है। प्रति संलग्न है। अपील निरस्त कराने का श्रम करावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा जिला बांसवाडा** (राज.) के जवाब एव उनकी ओर से अपीलार्थी को वांछित सूचना से अवगत कराये गये पत्र का अवलोकन एवं उस पर मनन किया। अपीलार्थी के आवेदन **ऑन लाईन 218621762204105** दिनांक **03–02–2026** से 4 बिन्दु पर सूचना चाही गई है। आवेदन अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना अपूर्ण विशिष्ठियों के साथ चाही गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा **6(1)(B)**के अनुसार चाही गई सूचना में स्पष्ट विशिष्टियाँ अंकित करना अपेक्षित है। यद्यपि वांछित सूचना विशिष्ठि विहिन है तथापि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावना एवं उद्धेश्यो को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलार्थी आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते है कि आदेश प्राप्ति के 30 दिवस में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी कार्यालय में उपलब्ध सूचना से सम्बन्धित अभिलेखो के अवलोकन हेतु एक निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर उपस्थित होने हेतु पंजीकृत पत्र के माध्यम से आमंत्रित करे। अपीलार्थी के अवलोकनोपरांत उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर चिन्हित किए जाने पर नियमानुसार सूचना/ विनिश्चिय अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर उपलब्ध करवाये। अतः अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक **23–04–2026** को न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.05.13 12:15:39 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. इंद्रजीत यादव) IAS.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)